लोक अदालत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ (सीकर)
बइजलास जगदीश प्रसाद गौड, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:75/2015/दावा /

1. नानूराम पुत्र रामू उर्फ रामदेवा जाति बलाई निवासी ग्राम खण्डेलसर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।
2. जगू राम उम्र 70 वर्ष पुत्र रामू उर्फ रामदेवा जाति बलाई निवासी खण्डेलसर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

प्रार्थीगण/ वादीगण

ब ना म

1. श्योपाल पुत्र रामू उर्फ रामदेवा जाति बलाई निवासी ग्राम खण्डेलसर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।
2. भागू राम पुत्र रामू उर्फ रामदेवा जाति बलाई निवासी ग्राम खण्डेलसर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।
3. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत,उद्घोषणा एवं रेकार्ड दुरूस्ती, अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

।उपस्थितिः

1. श्री शिवपाल सिंह वकील वादी की ओर से

निर्णय

दिनांक–12.03.2016

1 वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि आराजियात भूमि ख.न. 319 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 319/449 रकबा 1.20 हैक्टर किता दो कुल रकबा 1.26 हैक्टर वाके ग्राम खण्डेलसर पटवार हल्का खण्डेलसर तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त भूमियों की खातेदारी पूर्व में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता रामू उर्फ रामदेवा पुत्र नंदा बलाई साकितन देह दर्ज चली हा रही थी । खातेदार रामू उर्फ रामदेवा पुत्र नंदा के फोत होने पर जरिये विरासत नामान्तकरण संख्या 59 से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हो गई । वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की वंशावली निम्न प्रकार है :–

रामू उर्फ रामदेवा (फोत)

श्योपाल	जगूराम	भागूराम	नानूराम
पुत्र	पुत्र	पुत्र	पुत्र
(प्रति.सं.1)	(वादी सं. 2)	(प्रति.सं. 3)	(वादी सं. 1)

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

2 वाद पत्र के पैरा 1 में वर्णित भूमियों की विरासत नामान्तकरण संख्या 59 में वादी संख्या 2 गलत रूप से जगूराम के स्थान पर जैला पुत्र रामू उर्फ रामदेवा एवं वादी संख्या 1 का नाम नानूराम के स्थान पर मन्ना पुत्र रामू उर्फ रामदेवा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का नाम भागूराम के स्थान पर भगवाना पुत्र रामू उर्फ रामदेवा अंकित कर दिया गया तथा वादी संख्या एक का नाम गत भू–प्रबन्ध के दौरान भू–प्रबन्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा भूल एवं सहवन से गलत रूप से अंकित मन्ना उर्फ रामू उर्फ रामदेवा जिनका वास्तविक नाम नानूराम पुत्र रामू उर्फ रामदेवा है का उपरोक्त भूमियों के राजस्व रेकार्ड से हटा दिया गया जबकि एसा करने का उनको कोई अधिकार नहीं था । परिवार राशन, निर्वाचन कार्ड आदि में वादी संख्या 1 का नाम नानूराम पुत्र रामू उर्फ रामदेवा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का नाम जगूराम पुत्र रामू उर्फ रामदेवा दर्ज चला हा रहा है । तथा उक्त गलत अंकन होने की जानकारी वादीगणों को दिनांक 24.08.2015 को किसान केडिट कार्ड बनवाने हेतु जमाबन्दी की नकल लेने पर हुई ।

3 वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जाकर ग्राम खण्डेलसर तहसील दांतारामगढ के पुराने खसरा नम्बर 122 / 166 रकबा 5 बीघा जिसके नये खसरा नम्बर 319 रकबा 0.06 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 319 / 449 रकबा 1.20 हैक्टर किता दो कुल रकबा 1.26 हैक्टर बने हैं के राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती की जाकर वादी संख्या 1 का नाम मना पुत्र रामू उर्फ रामदेवा के स्थान पर नानूराम पुत्र रामू उर्फ रामदेवा, वादी संख्या 2 का जैला पुत्र रामू उर्फ रामदेवा के स्थान पर जगूराम पुत्र रामू उर्फ रामदेवा, प्रतिवादी संख्या 2 का नाम भगवाना पुत्र रामू उर्फ रामदेवा के स्थान पर भागूराम पुत्र रामू उर्फ रामदेवा तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता का नाम रामला पुत्र नंदा के स्थान पर रामू उर्फ रामदेवा पुत्र नंदा बलाई राजस्व रेकार्ड में अंकन के आदेश दिये जावें । तथा इसके अमल की उदघोषण जारी की जावे तथा तदनुसार राजस्व रेकार्ड में संशोधन व अमल किया जावे ।

4 वकील वादीगण ने साक्ष्य में वादी नानूराम का शपथ पत्र तथा साक्ष्य वादी के समर्थन में सेडराम पुत्र लखूराम बलाई निवासी खण्डेलसर तथा तलसीराम पुत्र रामलाल जाति बलाई निवासी खण्डेलसर का शपथ पत्र प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादी संख्या 1 श्योपाल पुत्र रामू उर्फ रामदेवा जाति बलाई का भी वादीगण के साक्ष्य के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें पैरा 3 में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया है ।

5 वकील वादीगण ने बहस में नकल जमा बन्दी संवत 2022 से 25 में अंकित नामान्तकरण संख्या 59 तथा नामान्तकरण संख्या 59 के अमल में हुई अशुद्वि बाबत तथ्यों को दोहराया गया तथा वादीगणों व प्रतिवादीगणों के वर्तमान आधार कार्ड, वाटरआईडी, तथा राशन कार्ड की प्रतियां प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि भू प्रबन्ध के दौरान हुई अशुद्वि को सही किया जावे ।

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

6 हमने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड , व वकील वादीगण द्वारा बहस के दौरान दोहराये गये तथ्यों का अवलोकन किया । मिलान क्षेत्रफल के अनुसार ग्राम खण्डेलसर के पुराने खसरा नम्बर 122/166 रकबा 5 बीघा के नये खसरा नम्बर 319 रकबा 0.06 हैक्टर तथा 319/449 रकबा 1.20 हैक्टर किता 2 कुल रकबा 1.26 हैक्टर बने हैं । नकल जमाबन्दी संवत 2022–25 के अनुसार उक्त भूमियां रामला पुत्र नन्दा बलाई के नाम दर्ज रेकार्ड थी जो संवत 2026–29 में रामला के फोत होने पर नामान्तकरण संख्या 59 से श्योपाल,जैला,भगवाना व मना पिता रामू बलाई के नाम दर्ज हुई । तथा संवत 2030–33 में उक्त भूमियां श्योपाल,जैला,भगवाना,मन्ना पिता रामला जाति बलाई के नाम दर्ज हुई इसके पश्चात् भू प्रबन्ध के दौरान उक्त भूमियों को श्योपाल, जैला, भगवाना पिता रामला जाति बलाई के नाम दर्ज किया गया । जिससे स्पस्ट होता है कि मन्ना पुत्र रामला का नाम दर्ज होने से छूट गया । वर्तमान आधार कार्ड, वोटर आईडी तथा परिवार राशन कार्ड के अनुसार मन्ना का नाम नानूराम, जैला का नाम जगूराम तथा भगवाना का नाम भागूराम दर्ज है ।

7 उपरोक्त विवेचन के आधार पर वर्तमान जमाबन्दी संवत 2071–74 में ग्राम खण्डेलसर के खसरा नम्बर 319, 319/449 किता 2 कुल रकबा 1.26 हैक्टर के खातेदार श्योपाल, जैला, भगवाना पिता रामला जाति बलाई सा. देह के स्थान पर नानूराम, जगूराम, श्योपाल, भागूराम पुत्रगण रामू उर्फ रामदेवा जाति बलाई निवासी खण्डेलसर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो । इस बाबत तहसीलदार को तहरीर जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

लोकअदालत

अंतिम डिकरी व मुकद्में इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - I)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम दांतारामगढ
इजलास जगदीश प्रसाद गौड, आर.ए.एस

नानूराम बनाम श्योपाल आदि

उत्तराधिकार एवं रिकार्ड दुरूस्ती

दावा बाबत, ~~बंटवारा स्थायी-निषेधाज्ञा प्रसारण~~

मुकदमा नं0 75/दावा सन् 2016 निर्णय दिनांक 12.03.2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू जगदीश प्रसाद गौड आर.ए. एस बहाजरी **श्री शिवपाल सिंह** मिनजानिब मुद्दई मुद्दालह पेश होकर हुकम दिया जाता है, वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है कि विवादित कृषि आराजियात भूमि ख.न. 319, 319/449 किता 2 कुल रकबा 1.26 हैक्टर ग्राम खण्डेलसर पटवार हल्का खण्डेलसर तह0 दांतारामगढ जिला सीकर की खातेदारी जमाबन्दी संवत 2071–74 में श्योपाल, जैला, भगवाना पिता रामला जाति बलाई सा. देह के स्थान पर नानूराम, जगूराम, श्योपाल, भागूराम पुत्रगण रामू उर्फ रामदेवा जाति बलाई निवासी खण्डेलसर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो । तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो ।

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12.03. 2016 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी

दस्तखत हाकिम दांतारामगढ

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	–	00		0	00
मीजान	7	00	मीजान	0	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned with CamScanner

लोक अदालत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ (सीकर)
बइजलास जगदीश प्रसाद गौड, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:75 / 2015 / दावा /

1. नानूराम पुत्र रामू उर्फ रामदेवा जाति बलाई निवासी ग्राम खण्डेलसर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।
2. जगू राम उम्र 70 वर्ष पुत्र रामू उर्फ रामदेवा जाति बलाई निवासी खण्डेलसर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

प्रार्थीगण / वादीगण

ब ना म

1. श्योपाल पुत्र रामू उर्फ रामदेवा जाति बलाई निवासी ग्राम खण्डेलसर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।
2. भागू राम पुत्र रामू उर्फ रामदेवा जाति बलाई निवासी ग्राम खण्डेलसर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।
3. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत,उद्घोषणा एवं रेकार्ड दुरूस्ती, अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

।उपस्थितिः

1. श्री शिवपाल सिंह वकील वादी की ओर से

निर्णय

दिनांक–12.03.2016

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

Scanned with CamScanner